प्रेषक,

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मालदेवता, रायपुर (देहरादून)

385

सेवा में,

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
उत्तराखण्ड, देहरादून

द्वारा :– निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) ।

पत्रांक /489 /(25)/2022–23 दिनांक 29–7–2022

विषयः आडिट आपित्त निस्तारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के पत्रांक प्र0म0ले(ले0प0) अनि0प्र0/2021–22/दिनांक 3.1.2022 के सन्दर्भ में आपत्तियों के निस्तारण हेतु प्रस्तरवार उत्तर निम्नवत् प्रेषित है।

भाग– दो (ब) प्रस्तरवार उत्तर

<table>
<tr><th>क0सं0</th><th>इंगित आपत्ति का विवरण प्रस्तरवार</th><th>प्रस्तरवार उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>निर्माण कार्यों की डी0पी0आर0 में रू0 15.80 लाख का Contigency के रूप में अनियमित रूप से प्रावधान पर कार्यदायी संस्था को दोहरा भुगतान किया जाना ।
<table>
<tr><th>निर्माण कार्य का नाम</th><th>निर्माण कार्य की लागत</th><th>Contigency का प्रावधान</th><th>Contigency के अन्तर्गत किया गया व्यय</th></tr>
<tr><td>कला संकाय भवन का निर्माण</td><td>352.49 लाख</td><td>14.10 लाख</td><td>14.10 लाख</td></tr>
<tr><td>चार कक्षा कक्ष का निर्माण</td><td>42.55 लाख</td><td>1.70 लाख</td><td>1.70 लाख</td></tr>
</table>
</td><td>1. कला संकाय भवन का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून ईकाई–2 द्वारा किया गया । लेखापरीक्षा दल–8 द्वारा लेखापरीक्षा निरीक्षण अवधि में नमूना प्रस्तर निर्माण एवं Contigency के सम्बन्ध में दिये गये थे । जिसके प्रतिउत्तर हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून ईकाई–2) को जवाब हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसका प्रतिउत्तर कार्यदायी संस्था द्वारा लेखापरीक्षा अवधि समाप्ति के पश्चात् इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है । जिसकी प्रति संलग्न सहित आपत्ति के निस्तारण हेतु इस महाविद्यालय के पत्रांक संख्या 286/(25)/2020–21 दिनांक 14–10–2020 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। चार कक्षा कक्ष का निर्माण उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून द्वारा किया गया ।जिसमें कार्यदायी संस्था द्वारा अपना प्रतिउत्तर उपलब्ध कराया गया है । जिसकी प्रति आपत्ति के निस्तारण हेतु इस महाविद्यालय कार्यालय के पत्रांक सुख्या 286/(25)/2020–21 दिनांक 14–10–2020 के द्वारा संलग्नक सहित प्रेषित की जा चुकी है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>महाविद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया जाना ।</td><td>महाविद्यालय में सत्र 2019–20 में 1254 छात्र/छात्रा अध्ययनरत् थे जिनके बैठक व्यवस्था हेतु 612 छात्र कुर्सी/मेज उपलब्ध है । तथा पठन–पाठन हेतु समय–सारिणी के अनुसार कक्षायें संचालित होने पर छात्र/छात्राओं की बैठक व्यवस्था की जाती है । महाविद्यालय पुस्तकालय में सत्र 2019–20 में 1357 पुस्तकें उपलब्ध थी तथा छात्र/छात्रा को पुस्तकालय</td></tr>
</table>

		से 15 दिनों हेतु पुस्तकें निर्गत की जाती है जिससे सभी अध्ययनरत् छात्रों को पठन–पाठन हेतु पुस्तकें उपलब्ध हो पाती है । महाविद्यालय में सीमित प्रयोगशालों के उपकरणों से प्रयोगात्मक परीक्षायें संचालित की जाती है तथा निदेशालय को प्रयोगात्मक उपकरण/पुस्तकें/फर्नीचर हेतु बजट मॉग प्रेषित की गयी है । बजट प्राप्त होने पर पर्याप्त उपकरण/पुस्तकें/फर्नीचर कय किये जायेंगे । उपरोक्त बुनियादी सुविधाओं हेतु विगत वर्षो से निदेशालय/शासन से बजट मॉग की जा रही है । किन्तु महाविद्यालय को मूलभूत सुविधाओं की मॉगनुसार बजट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । इसके अतिरिक्त महाविद्यालय द्वारा पुस्तकों/फर्नीचर आदि के मॉग प्रस्ताव सहयोग पोर्टल, हंस फाउंडेशन एवं खनिज न्यास फाउंडेशन को प्रेषित किये गये है। निदेशालय/शासन द्वारा अनुदान प्राप्त होने पर मूलभूत सुविद्याओं का निराकरण शीध्र कर दिया जायेगा।
3	अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत रू0 0.65 लाख की कटौती न किया जाना ।	उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 214(1)/XXVVIII–3–2020–04/ 2008 T.C. दिनांक 04–05–2020 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को S.G.H.S. के अन्तर्गत चिकित्सीय उपचार प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में माह जनवरी 2021 से महाविद्यालय में कार्यरत सभी नियमित प्राचार्य/प्राध्यापक/कर्मचारियों से डाटा आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर आहरण अधिकारी द्वारा फीड करने के उपरांन्त कटौती कर दी गई है।
4	छात्रों को वापस होने वाली प्रतिभूति राशि रू01,10,957के अन्य प्रयोजन हेतु व्यय प्रकरण के सम्बन्ध में।	उपर्युक्त धनराशि समायोजन हेतु निदेशालय को पत्र प्रेषित हैं। निदेशालय द्वारा अनुदान प्राप्त होने पर उपरोक्त धनराशि का समायोजन कर दिया जायेगा। प्रेषित पत्र संलग्न है।

अतः उपर्युक्तानुसार आडिट आपत्तियों को निस्तारित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मालदेवता, रायपुर (देहरादून)

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मालदेवता रायपुर, देहरादून

पृष्ठांकन संख्या/ 489-1 /(25)/2020–21 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि :– निदेशक उ0शि0 के पत्रांक डिग्री लेखा/1847/2022–23 दिनांक 25 जून 2022 के सन्दर्भ में

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मालदेवता, रायपुर देहरादून)

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मालदेवता, रायपुर, देहरादून

O/C

383

प्रेषक,

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मालदेवता, रायपुर (देहरादून)

सेवा में,

निदेशक (उच्च शिक्षा)
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक/296 /(25)/2020—21 दिनांक 16—10—2020

विषय :— महाविद्यालय की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या— 39/2017—18 दिनांक 39—2017—18 के द्वारा महाविद्यालय में माह 09/2014 से 06/2017 तक लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा के भाग दो (ब) के प्रस्तर संख्या 01 द्वारा छात्रों को वापस होने वाली प्रतिभूति राशि से **रू0 1,10,957=00 (रू0 एक लाख दस हजार नौ सौ सत्तावन मात्र)** का अन्त्र प्रयोजन पर नियमित ढंग से व्यय की आपत्ति लगाई गयी थी । जिसके क्रम में उक्त धनराशि में से **रू0 36264=00 (रू0 छत्तीस हजार दो सौ चौसठ मात्र)** का सामायोजन किया जा चुका है एवं अवशेष **रू0 74693=00 (रू0 चौहत्तर हजार छः सौ त्रिरानवै मात्र)** का समायोजन किया जाना शेष है ।**(संलग्नक— 01)** सूच्य है कि, इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के पत्रांक/196/(2)/2020—21 दिनांक 29--08—2020 **(संलग्नक—02)** द्वारा एवं समय—समय पर की जाने वाली बजट मॉग में भी कार्यालय फर्नीचर मद में धनराशि उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया गया था । किन्तु अद्यतन पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण **रू0 74693=00** का समायोजन नही हो पाया हैं ।

अतः उपर्युक्त दर्शायी गयी ऑडिट आपत्ति के निस्तारण हेतु मानक मद संख्या— 21 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण) में **रू0 75000=00 (रू0 पिचत्तर हजार मात्र)** का बजट आवंटन करने की कृपा करें ।

संलग्न— उक्तवत् ।

भवदीय,

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मालदेवता, रायपुर (देहरादून)

पृष्ठांकन संख्या/296-I /(25)/2020—21 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि :— वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा0क्षे0, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मालदेवता, रायपुर (देहरादून)

उपरोक्त विषयक कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सा0क्षे0/ले0प0प्रति0संख्या 039/2017–18/823 दिनांक 24–08–2017 के सन्दर्भ में महाविद्यालय में सम्पन्न की गई लेखा परीक्षा के दौरान लगाई गई आपत्ति भाग–दो (ब) के प्रस्तर 01 द्वारा छात्रों को वापस होने वाली प्रतिभूति राशि से रू0 1,10,957=00 का अन्य प्रयोजन पर नियमित ढंग से व्यय की आपत्ति लगाई गई थी। जिसका निराकरण निम्नवत है :–

क0सं0	दिनांक	निकासी धनराशि	समायोजन एवं कारण
1	16–10–2014	7000=00	नव स्थापित महाविद्यालय होने के कारण महाविद्यालय का प्रथम शैक्षणिक सत्र 2014–15 से प्रारम्भ हुआ जिस कारण परिचय पत्र खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं थी, जिस हेतु अग्रिम भुगतान कॉशनमनी खाते से लिया गया एवं जिसका समायोजन कर दिया गया है ।
2	01–11–2014	6242=00	नव स्थापित महाविद्यालय होने के कारण बजट प्राप्त नही हुआ, तथा महाविद्यालय के अभिलेखों के रख–रखाव हेतु आलमारी क्रय किये जाने हेतु अग्रिम धनराशि ली गई, जिसका समायोजन कर दिया गया है ।
3	29–04–2015	20000=00	महाविद्यालय के सम्बद्वता विस्तारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित पैनल निरीक्षण दल के यात्रा भत्ता/मानदेय भुगतान हेतु अग्रिम लिया गया था एवं निदेशालय से बजट प्राप्त होने पर उक्त धनराशि का समायोजन किया गया ।
4	02–05–2015	2022=00	महाविद्यालय में प्रयोगात्मक विषय खोले गये, किन्तु प्रयोगात्मक विषयों हेतु निदेशालय द्वारा कोई बजट उपलब्ध न होने के कारण उक्त विषयों के प्रयोगात्मक परीक्षाओं में भुगतान किया गया । जिसका समायोजन कर दिया गया है ।
5	05–05–2015	1000=00	महाविद्यालय में प्रयोगात्मक विषय खोले गये, किन्तु प्रयोगात्मक विषयों हेतु निदेशालय द्वारा कोई बजट उपलब्ध न होने के कारण उक्त विषयों के प्रयोगात्मक परीक्षाओं में भुगतान किया गया । जिसका समायोजन कर दिया गया है ।
6	28–04–2017	74693=00	निदेशालय के पत्रांक विविध/119/2017–18 दिनांक 07–04–2017 की अनुमति पर मुख्य परीक्षा 2016–17 हेतु फर्नीचर क्रय किया गया, निदेशालय से बजट प्राप्त होने पर धनराशि का समायोजन किया जायेगा ।

इस सम्बन्ध में सूच्य है कि, सत्र 2016–17 की समाप्ति पर प्रथम शैक्षणिक सत्र 2014–15 में प्रवेशित कुल 305 छात्र/छात्राओं की प्रतिभूति धनराशि देय है जो कि कॉश्नमनी खाते में जमा है ।

भवदीय,

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
मालदेवता, रायपुर (देहरादून)